मोती लाल व अन्य

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

3 अक्टूबर, 2007

[एकल पीठ सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जेजे.J

दंड संहिता, 1860-एसएस 302, 302/149 और 307- मृत व्यक्तियाेंं और आरोपी, एक-दूसरे के साथ दुश्मनी रखने वाले पडौसी-दाेनो पक्षो के बच्चों के बीच झगड़े को लेकर, आरोपी ने मृतक पर और बचाने की कोशिश करने वालो पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगो की मृत्यु हो गयी-उच्च न्यायालय ने हत्या के लिये दोषसिद्धि को बरकरार रखा-न्यायसंगत-धारित: न्यायोचित-अपराध विभत्स तरीके से किया गया- आरोपी ने न केवल दो लोगो को मार डाला अपितु एक पर मिट्टी का तेल भी डाला और उसे आग लगा दी-उन्होंने बचाने के लिये आये लोगो पर भी हमला किया-यह भी नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा आत्मरक्षा में चोटें कारित की गयी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों पक्ष पडौसी थे और उनकी एक-दूसरे के साथ दुश्मनी थी। बच्चों के बीच झगड़े को लेकर, अपीलकर्ता एमएल और एस ने बी और एम पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया और उनकी हत्या कर दी। एनबी, बी की पत्नी है और ए एल, एम बी का पति, जिन्होंने

एम और एमबी को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था, पर लोहे के पाईपाेंं और कुल्हाड़ी से प्रहार किया। एसटी, एएल की पुत्री है, डीवी और अन्य बच्चों पर भी हमला किया। अपीलकर्ताओं ने एमबी को घसीटा उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी और बाद में इन चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त एल, एचआर, केबी, जीबी और एचआर ने भी इस अपराध को कारित करने में सहभागिता की। एफआईआर दर्ज की गयी। अपीलकर्ताओं और अन्य अभियुक्तो को धारा 302/149, 307 और 148 के तहत आरोपित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताआेंं पर एम, बी और एमबी की हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई गयी अौर एनबी और एएल की हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 भारतीय दंड संहिता में भी सजा सुनाई गयी। विचारण न्यायालय ने अन्य अभियुक्ताेंं को बच्चो को उपहति कारित करने के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में दोषसिद्ध किया। उच्च न्यायालय ने धारित किया कि दोनो पक्षो के मध्य एक स्वतंत्र लडाई हुई और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा इसमें निभायी गयी वास्तविक सहभागिता के आधार और अभियुक्तो की शरीर पर आई चोटो की का स्पषटीकरण नहीं देने के आधार पर, एम. बी और एमबी की हत्या के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को अंतर्गत धारा 302, 302/149 भारतीय दंड संहिता को यथावत रखा परन्तु उनकी सजा को कम कर कठोर आजीवन कारावास कर दिया। उच्च न्यायायल ने एएल की हत्या के प्रयास के लिए अपीलार्थियो को अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध किया और सात वर्ष की कठोर

कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त जेबी को भी एनबी की हत्या के प्रयास के लिये और आरोपी एचआर को डीबी को उपहति कारित करने के लिये अंतर्गत धारा 324 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध किया। यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्तो को दोषमुक्त कर दिया, इस कारण वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थी/अभियुक्तो का तर्क रहा कि इस तथ्य को ध्यानगत रखते हुये कि वहां एक स्वतंत्र लडाई हुई थी, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थिया का एम,बी और एमबी को मारने का कोई आशय रहा और अभियोजन द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर आई चोटो के विषय में कोई व्याख्या नहीं दी गयी।

गैर अपीलार्थी/राज्य का तर्क रहा घटनाओं की श्रृखंला उस वीभत्स तरीके को स्थापित करती है जिसमें न केवल तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी अपितु दो अन्य लोगो की हत्या करने का प्रयास किया गया और बच्चो को उपहतियां कारित की गयी। यह कि उच्च न्यायालय ने अन्य अभियुक्तो जिनके विरुद्ध गंभीर आरोप थे उन्हें दोषमुक्त करने की गलती की, और यह भी तर्क दिया गया कि यदि पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो मरने वालो की संख्या अधिक भी हो सकती थी।

याचिका खारिज। न्यायालय ने अवधारित किया-

1.1. यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता उक्त अपराध को कारित करने के लिये दोषी नहीं हैं। इस मामले में किसी भी सामान्य आशय के

अस्तित्व को खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने केवल अपीलकर्ताओं के व्यक्तिगत कृत्यों के आधार पर अपने कारणों को दर्ज किया। ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है कि चोटें अपीलकर्ताओं द्वारा आत्मरक्षा में पहुंचाई गई थी। ऐसा कोई मामला न आने पर उनमें से कुछ को लगी चोटे महत्व खो देती हैं। तीन लोगो का जीवन समाप्त हो गया। जिस प्रकार से अपराध किया गया वह वीभत्स था। उन्होंने न केवल बी और एम की हत्या की अपितु एमबी को घसीटा, उसपर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। जो कोई भी बचाने आया था उसे भी नहीं बख्शा। एनबी और एएल पर भी हमला किया गया। यहां तक कि बच्चो को भी नहीं बख्शा गया। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ताओं को एम, बी और एमबी की हत्या के आरोपों से मुक्त किया जा सकता हो। (पैरा 20 और 21)(299-ए-डी)

1.2. हालांकि, इस तथ्य को मध्येनजर रखते हुये कि राज्य ने, उच्च न्यायालय के कुछ अभियुक्तो के दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील करना उचित नहीं समझा, यह धारित करना संभव नहीं है कि यह एक स्वतंत्र झगडे का मामला नहीं था, या अन्य अभियुक्तो की भी उसमें संलिप्तता थी। (पैरा 22)(299-ई)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 1268/2006

2003 की आपराधिक संदर्भ संख्या 2 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13.05.2004 से आपराधिक अपील संख्या 1293 और 1294- 2003 से

अपीलकर्ताओं की ओर से सिब्बो शंकर मिश्रा

विभा दत्ता मखीजा- गैर अपीलार्थी

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा-

एस.बी.सिन्हा. जे. (1) अपीलकर्ता- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिनांक 13.5.2004 को सुनाये गये दोषसिद्धी के फैसले से व्यथित और असंतुष्ट मोतीलाल और संतोष कुमार हमारे समक्ष।

(2) दोनो पक्ष पडौसी थे। उनके घर केवल एक दीवार से बटे हुये थे। दोनो परिवार एक दूसरे से शत्रुता रखते थे। घटनाओं के क्रम की शुरूआत मोतीलाल के घर में एक बच्चे- नितिन द्वारा मलत्याग से हुई।

(3) दिनांक 04.07.1999 को सुबह लगभग 9.30 बजे जब मृतक मुन्नीलाल का पुत्र नितिन अपने घर के पास स्थित नल के पास खेल रहा था तभी मोतीलाल के पुत्र पुष्पेन्द्र ने उसके कपड़ों पर कुछ मिट्टी डाल दी। नितिन अपने घर गया और उसने अपने पिता मुन्नीलाल को इसकी जानकारी दी। मुन्नीलाल ने मोतीलाल के घर जाकर पुष्पेंद्र के आचरण के संबंध में शिकायत की। मोतीलाल, संतोष और हरिराम ने कथित तौर पर उनसे कहा कि उनके बच्चे इसी तरह से कृत्य करेंगे। नरबदिया बाई

पी.डब्ल्यू.-3 मौके पर पहुंची और उसने उन्हें बताया कि वे हमेशा झगड़ा शुरू कर देते हैं। यहां अपीलकर्ताओं ने कथित तौर पर मृतक मुन्नीलाल पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया-जिससे उसकी मृत्यु हुई। नरबदिया बाई ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन कथित तौर पर जमुना बाई नाम की महिला ने उस पर लोहे के पाईप से वार कर दिया। अपीलकर्ता कल्ली बाई और गुड्डी बाई ने भी नरबदिया बाई पर लाठियों से वार किया। इसी समय बलदेव भी वहां पहुंचा बताया गया। अपीलकर्ताओं ने बलदेव पर कुल्हाड़ी से वार किया और हरिराम ने बलदेव पर बक्का से वार किया। अपीलकर्ता काली और गुड्डी बाई का भी बलदेव पर लाठियों से प्रहार करना बताया। अपीलकर्ता लच्छू ने संतोष कुमार से कुल्हाड़ी छीन ली और मृतक मुन्नीलाल के सिर पर वार किया।

(4) अभियोजन का मामला आगे यह है कि अपीलकर्ता लच्छू, हरिराम, कल्ली बाई और गुड्डी ने साथ मिलकर मुन्नीबाई को पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने घर के दरवाजे तक ले आये। जहां मोतीलाल ने मिट्टी के तेल की कुप्पी से मुन्नीबाई पर मिट्टी का तेल छिडका; संतोष ने उसको आग लगा दी। जब मुन्नीबाई के पति अमृतलाल ने उसे बचाने की कोशिश की तो संतोष ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जो अमृतलाल ने अपने हाथ पर ले लिया। इसके बाद अमृतल घटनास्थल से भाग गया और उसने पुलिस को सूचना दी। इसी बीच मुन्नीबाई पास के कुएं की ओर भागी और उसने उस कुंए में छलांग लगा दी। अमृतलाल की

पुत्री सीता घटनास्थल पर पहुंची। संतोष के द्वारा उसे एक नाले में धक्का दे दिया गया और इसी तरह का व्यवहार देवश्री और अन्य बच्चों के साथ किया गया।

(5) प्रथमसुचना रिपोर्ट उसी दिन प्रातः लगभग 11 बजे दर्ज करायी गयी। सभी आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल, पुलिस के पहुंचने से स्थिति और बिगड़ने से बच गयी।

(6) मुन्नीलाल और बलदेव की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मुन्नीबाई को कुएं से बाहर निकाला गया। उसका मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया। बाद में उसने चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

(7) यहां अपीलकर्ताओं और उनसे अन्य जमुना बाई, गुड्डी बाई, लच्छू, हरिराम और कल्ली बाई के विरुद्ध धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता, धारा 307 और धारा 148 के तहत आरोप तय किए गए।

(8) विद्वान विचारण न्यायाधीश ने संतोष और मोतीलाल को मुन्नीलाल, बलदेव और मुन्नीबाई की हत्या के आरोप में मृत्युदंड सुनाया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत नरबदिया बाई और अमृतलाल की हत्या के प्रयास के लिये भी सजा सुनाई गई। अन्य आरोपियों को बच्चो को उपहति कारित करने के लिये धारा 324 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपित कर दोषसिद्ध ठहराया गया।

(9) हालांकि, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के आधार पर, राय दी कि पक्षों के बीच एक स्वतंत्र लड़ाई हुई थी। उच्च न्यायालय का विश्लेषण प्रत्येक आरोपी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर निभायी गयी वास्तविक भूमिका के आधार पर आगे बढा। साक्ष्यो के विश्लेषण के आधार पर, यह राय दी गयी कि केवल अपीलकर्ता ही यहां पर उल्लिखित अपराधों के लिए दोषी है। जमना बाई को न केवल नरबदिया बाई और हरिराम की हत्या के प्रयास के लिये दोषसिद्ध नहीं किया गया अपितु देवश्री को उपहति कारित करने के लिये धारा 324 भारतीय दंड संहिता में भी दोषसिद्ध किया गया। अन्य आराेपियों को बरी कर दिया गया।

(10) जैसा कि पहले बताया गया, कि संतोष कुमार और मोतीलाल की धारा 302, 302/149 भारतीय दंड संहिता की दोषसिद्धि के निर्णय को स्थापित किया गया, परन्तु उनकी सजा को मृत्युदंड से कठोर आजीवन कारावास में कम कर दिया गया। संतोष कुमार की अमृतलाल की हत्या के प्रयास के लिये धारा 307 भारतीय दंड संहिता में भी दोषसिद्धि की गयी और उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी।

(11) अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन दिया गया कि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि वहाँ एक स्वतंत्र लड़ाई हुई थी, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ताओं का उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तियों को मारने का कोई इरादा था। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान गवाह डीडब्ल्यू-2 डाॅ. डी के जैन और

डीडब्ल्यू-1 डाॅ. विजय परमार के बयानो की आेर आकर्षित किया, जिन्होंने अभियुक्तो को लगी चोटो को साबित किया था।

(12) विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तर्क के साथ एक कमजोर प्रयास और किया गया कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों को आई चोटों कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, अतः अभियोजन का संपूर्ण मामला ही विफल हो जाता है।

(13) दूसरी तरफ, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि जिस क्रूर तरीके से न केवल तीन लोगो को मार दिया गया बल्कि अन्य दो लोगो की हत्या का प्रयास किया गया और बच्चो की उपहति कारित की गयी उस घटनाक्रम को न केवल स्वयं सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है।

(14) विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उच्च न्यायालय ने अन्य अभियुक्तो को उनके विरुद्ध लगे आरोपों से बरी करने में गंभीर त्रुटि की है। यह भी दलील दी गयी है कि पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो, मृतको की संख्या बढ सकती थी। यह भी बताया गया कि मुन्नीबाई को अन्य आराेपियो द्वारा न केवल अपने घर तक खींचा गया, बल्कि घर के अंदर से करोसीन का डिब्बा लाया गया अौर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़का गया और आग लगा दी गयी। वह केवल हताशा के कारण कुंऐ में कूद गयी और केवल पुलिस के पहुंचने के बाद ही उसे वहां से बचाया जा सका।

(15) अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में, बड़ी संख्या में गवाहों को पेश किया। उनमें से नरबदिया बाई, पीडब्ल्यू-3 जो मृतक बलदेव की विधवा है, मृतक मुन्नीलाल की मां और मृतक मुन्नीबाई की सास है, ने इस संबंध में विचाराधीन घटना के लिये अपना पक्ष रखा। उसने अभियोजन के मामले का पूर्ण समर्थन किया। उसने पूरा विवरण दिया कि कैसे बलदेव और मुन्नीबाई को मौत के घाट उतार दिया गया और मुन्नीबाई को आग लगा दी गयी। उसने यह भी स्थापित किया कि जब अमृतलाल ने मुन्नीबाई को बचाने की कोशिश की, तो संतोष ने उसपर कुल्हाडी से वार किया। जब सीता और देवश्री वहां पहुंची, तो संतोष ने सीता को नाले में धक्का दे दिया। देवश्री के साथ भी उसके द्वारा ऐसा ही व्यवहार किया गया। उसके अनुसार हरिराम भी देवश्री के जांघ पर बक्का से वार किया गया।

(16) अमृतलाल अन्य अभियोजन का गवाह है। वह संबंधित दिन को सुबह लगभग 10.30 बजे अपने घर में पूजा कर रहा था। जब उसे कुछ चीखें सुनायी दी, तो वह बाहर आया और उसने घटना देखी। सरिता पीडब्ल्यू-8 भी एक चश्मदीद गवाह थी।

(17) उच्च न्यायालय द्वारा, ऐसे सबूतों के बावजूद, इस आधार पर कि अभियुक्तो के शरीर पर लगी चोटो का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, कार्यवाही की गयी। चूँकि नरबदिया बाई द्वारा जमुना बाई, गुड्डी बाई और

हरिराम का नाम किसी पर हमला करने के लिए नहीं बताया, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ दे दिया गया।

(18) ऐसे निष्कर्ष पर, उच्च न्यायालय द्वारा यह राय दी कि मुन्नीलाल की मृत्यु के लिए केवल मोतीलाल और संतोष जिम्मेदार थे। इसी प्रकार, बलदेव की मृत्यु के संबंध में संतोष और मोतीलाल को दोषी पाया गया।

(19) मुन्नीबाई को आग लगाने के संबंध में भी उच्च न्यायालय ने पुनः इस आधार पर कार्यवाही की कि संतोष ने मुन्नीबाई को घसीटा था और मोतीलाल ने उस पर मिट्टी का तेल डाला था। उसके इस कृत्य में अन्य अभियुक्तों की सहभागिता स्वीकार नहीं की गयी। जहां तक नरबदिया की हत्या के प्रयास का संबंध है, उच्च न्यायालय की राय रही थी कि अन्य अपीलार्थियों के व्यक्तिगत कृत्य को अभियोजन द्वारा स्थापित नहीं किया गया। हालांकि, अमृतलाल की हत्या के प्रयास के संबंध में, संतोष को जिम्मेदार पाया।

(20) इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि वे उक्त अपराध के दोषी नहीं है क्योंकि इस मामले में किसी भी सामान्य इरादे के अस्तित्व को खारिज कर दिया गया है। अतः इस प्रश्न पर हमारा गंभीर ध्यान नहीं जाना चाहिए कि क्या उनका हत्या करने का कोई इरादा था या नहीं। उच्च न्यायालय ने केवल अपीलकर्ताओं के व्यक्तिगत कृत्यों के आधार पर ही अपने कारणों को दर्ज

कराया है। ऐसा कोई मामला नहीं बनाया पाया जाता है कि अपीलकर्ताओं ने अपनी आत्मरक्षा में चोटें पहुंचाई थी। उक्त तथ्य की अनुपस्थिति पाये जाने पर, उनमें से कुछ को लगी चोटें अपना महत्य कम कर देती है। तीन लोगों का जीवन समाप्त हो गया। जिस तरीके से अपराध किया गया वह वीभत्स था। उन्होंने न केवल बलदेव और मुन्नीलाल की हत्या की, बल्कि मुन्नीबाई को अपने घर तक खींचा, उसपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। जो भी बचाने आया था उसे भी नहीं बख्शा गया। नर्बदिया बाई और अमृतलाल पर भी हमला किया गया। यहां तक कि बच्चो तक को भी नहीं बख्शा गया।

(21) इस प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुये, हमारी राय यह है कि यह एक ऐसा मामाल नहीं है, जहां अपीलकर्ताआे को मुन्नीलाल, बलदेव और मुन्नीबाई की हत्या के आरोपों से मुक्त किया जा सके।

(22) अपील खारिज की जाती है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य द्वारा उक्त आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ती के निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की गयी है, हमारे लिये यह धारित करना संभव नहीं है कि यह एक स्वतंत्र लडाई का मामला नहीं था, या अन्य अभियुक्तो की इसमें कोई हाथ नहीं था।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनु अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।